



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.10.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व 18 हजार रूपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कारावास व 18 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 74/04 धारा 25 आयु अधि0 के अभियुक्त छोटू उर्फ फूलसिंह पुत्र बलवीर निवासी अकौना थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 205/04 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1- मोतीलाल पुत्र मूलचन्द्र व 2-गम्थू पुत्र मोतीलाल निवासीगण हरदौली थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **2000-2000 रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 351/18 धारा 381/411 भादवि के अभियुक्त शिवसिंह पुत्र रामआसरे निवासी अमलोर थाना पैलानी जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 03 माह 07 दिन) के कारावास व 7000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 493/04 धारा 25 आयु अधि0 के अभियुक्त सईद उर्फ टुडू पुत्र कल्लू मुसलमान निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **जेल में बिताई गई अवधि (01 माह 22 दिन) के कारावास व 5000/ रूपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।